न्यायालय :– तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर (म0प्र0)
(समक्ष–राज कुमार त्रिपाठी)

MJC SUC No.	***42/2022***
Filing No.	***1642/2022***
CNR No.	***MP1401-011853-2022***
Date of Registration	***26-11-2022***

01. राधेश्याम पिता बालमुकुन्द शर्मा, उम्र 62 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार,

02. वेदिका शर्मा पिता स्वर्गीय हिमांशु शर्मा, उम्र 16 वर्ष, व्यवसाय–पढाई, (अवयस्क)

03. वृष्टि शर्मा पिता स्वर्गीय हिमांशु शर्मा, उम्र 10 वर्ष, व्यवसाय–पढाई, (अवयस्क)

दोनों अवयस्क द्वारा संरक्षक नाना श्री राधेश्याम पिता बालमुकुन्द शर्मा,

निवासीगण–टोड़ी नगर, मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)।

..... **आवेदकगण**

–– विरूद्ध ––

01. सर्व साधारण (आम जनता),

02. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा मंदसौर, पता–नूतन स्कूल के सामने मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)

03. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, हेड ऑफिस–3, मिडिलटाउन, पोस्ट बॉक्स नं. 9229, कोलकाता पिन–700071

..... अनावेदकगण

आवेदक द्वारा :– श्री सत्येन्द्र सिंह सोम अधिवक्ता।
अनावदेकगण :– पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//
(आज दिनांक 04.09.2024 को घोषित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रश्नगत आवेदन के अधीन आवेदकगण की ओर से संक्षेप में यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक क्रमांक 01 आवेदकगण क्रमांक 02 व 03 (नाबालिग) के नानाजी होकर उनके भरण–पोषण, शिक्षा स्वास्थ्य आदि कार्य कर रहे हैं। आवेदक क्रमांक 02 व 3 के पिता स्वर्गीय श्री हिमांशु शर्मा व माता स्वर्गीय श्रीमती दीपिका शर्मा की मृत्यु कार दुर्घटना में दिनांक 09.07.2022 को हो गई है, जिसकी बीमा पॉलिसी क्रमांक 32030331226160000057 की धनराशि प्राप्त करने हेतु आवेदकगण क्रमांक 02 व 03 नाबालिग होने से उनके संरक्षक आवेदक क्रमांक 01 के पक्ष में न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की वांछा की गई है।

3. मामले में अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 03 पूर्व से एपक्षीय है।

4. आवेदक के आवेदन पत्र के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न है :–

(1) क्या आवेदकगण मृतक स्वर्गीय श्री हिमांशु शर्मा व स्वर्गीय श्रीमती दीपिका शर्मा की मृत्यु उपरांत बीमा पॉलिसी क्रमांक 32030331226160000057 की पर्सनल एक्सीडेंट कबर की राशि 15,00,000/– रूपये के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र हैं ?

5. तत्संबंध में आवेदक साक्षी राधेश्याम (आ.सा.–01) द्वारा मौखिक साक्ष्य में व्यक्त किया गया है, कि दीपिका शर्मा उसकी पुत्री थी, जिसका विवाह स्वर्गीय हिमांशु जी शर्मा के साथ हुआ था। उक्त दोनों पति पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2022 को सडक दुर्घटना में हो गया था। उसके जमाई हिमांशु सोनिक बायो केम्प कम्पनी में प्राईवेट नौकरी करते थे तथा उसकी पुत्री दीपिका घरेलु कार्य करती थी। उसकी पुत्री दीपिका एवं जमाई हिमांशु की मृत्यु स्वयं की कार का एक्सीडेंट होने से हो गई थी, उक्त बीमा कम्पनी से कार बीमा की राशि प्राप्त करने हेतु उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यक है। उनकी कार बीमा पॉलिसी का क्रमांक 32030331226160000057 है, जो दिनांक 05.04.

2022 से दिनांक 04.04.2023 तक प्रभावी होकर घटना दिनांक 09.07.2022 को वैध था। उसकी पुत्री एवं जमाई की मृत्यु हो जाने से उनकी दोनों पुत्रियों क्रमशः आवेदक क्रमांक 02 एवं 03 के अतिरिक्त उनका कोई निकटतम वारिस नहीं हैं वह उनका नाबालिग और आवेदक क्रमांक 01 उनका संरक्षक है। अतः कार बीमा पॉलिसी का क्रमांक 32030331226160000057 की बीमा राशि 15,00,000/– रूपये प्राप्त करने हेतु न्यायालय से उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

6. आवेदक साक्षी राधेश्याम (आ.सा.–01) द्वारा मौखिक साक्ष्य के समर्थन में अभिलेख पर स्वर्गीय हिमांशू शर्मा एवं स्वर्गीय दीपिका शर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, जो क्रमशः **प्र.पी.–1 एवं प्र.पी.–2** हैं, जिनके अवलोकन से मृतक हिमांशु व दीपिका की मुत्यु दिनांक 09.07.2022 को होना दर्शित है। आवेदक द्वारा अभिलेख पर हिमांशू शर्मा एवं दीपिका शर्मा के आधार कार्ड प्रस्तुत किये हैं, जो **प्र.पी.–3 एवं प्र.पी.–4** हैं। आवेदक द्वारा अभिलेख पर अपनी पोती वेदिका शर्मा एवं वृष्टि शर्मा आवेदक क्रमांक 02 एवं 03 के आधार कार्ड प्रस्तुत किये हैं, जो **प्र.पी.–5 एवं प्र.पी.–6** है। आवेदक द्वारा अभिलेख पर स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत किया है, जो **प्र.पी.–7** है। आवेदक द्वारा अभिलेख पर अपने जमाई हिमांशू शर्मा एवं पुत्री दीपिका शर्मा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जो **प्र.पी.–8** है, जिसके अवलोकन से मृतक दीपिका एवं हिमांशु की मृत्यु दुर्घटना में होना प्रकट होता है। आवेदक द्वारा अभिलेख पर कर की असल बीमा पॉलिसी क्रमांक 32030331226160000057 प्रस्तुत किया है, जो **प्र.पी.–9** है। अवलोकनीय है कि अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा उक्त बीमा पॉलिसी के तहत पर्सन एक्सीडेंट कबर की राशि 15,00,000/– रूपये प्रावधानित होने के संबंध में स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसे आवेदक द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जो **प्र.पी.–10** है। आवेदक द्वारा अभिलेख पर आम जनता को समाचार पत्र के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किया था, जो **प्र.पी–11** है।

7. पूर्वोक्त विवेचना के अधीन आवेदक क्रमांक **02.** वेदिका शर्मा पिता स्वर्गीय हिमांशु शर्मा, उम्र 16 वर्ष, व्यवसाय–पढाई, (अवयस्क) एवं आवेदक क्रमांक **03.** वृष्टि शर्मा पिता स्वर्गीय हिमांशु शर्मा, उम्र 10 वर्ष, व्यवसाय–पढाई, (अवयस्क), द्वारा वाद संरक्षक नाना–श्री राधेश्याम पिता बालमुकुन्द शर्मा, उम्र 62 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार, निवासीगण–टोड़ी नगर, मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.) की ओर से मृतक स्वर्गीय श्री हिमांशु शर्मा व स्वर्गीय श्रीमती दीपिका शर्मा की मृत्यु उपरांत बीमा पॉलिसी क्रमांक 32030331226160000057 की पर्सनल एक्सीडेंट कबर की राशि 15,00,000/– रूपये (पंद्रह लाख रूपये) के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि आवेदक राधेश्याम द्वारा अपेक्षित प्रभार्य न्यायालय फीस एवं शोध्य धनराशि का बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत करें कि यदि भविष्य में स्वर्गीय हिमांशु शर्मा एवं स्वर्गीय श्रीमती दीपिका शर्मा की उक्त राशि को प्राप्त करने का अधिकारी कोई अन्य व्यक्ति पाया जाता है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह उक्त धनराशि के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन करेगा, तो उसके पक्ष में उपरोक्तानुसार उक्त राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

8. अवयस्क आवेदकगण वेदिका शर्मा एवं वृष्टि शर्मा के वाद संरक्षक श्री राधेश्याम पिता बालमुकुन्द शर्मा को उनकी ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के आलोक में यह भी निर्देशित किया जाता है, कि वह अवयस्क आवेदकगण वेदिका शर्मा एवं वृष्टि शर्मा के हित को संरक्षित करने के प्रयोजन से प्राप्त **धनराशि 15,00,000/–रूपये (पंद्रह लाख रूपये) में से 7,50,000–7,50,000/–रूपये (सात लाख पचास हजार–सात लाख पचास हजार रूपये)** को उनके नाम से सावधि जमा (एफ.डी.) खाते में जमा करेगा, जो उनके वयस्क होने पर प्राप्त होगी। उक्त संबंध में अव्यस्क आवेदकगण वेदिका शर्मा एवं वृष्टि शर्मा के भरण पोषण को दृष्टिगत रखते हुये यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जमा राशि पर प्राप्त होने वाले मासिक ब्याज को अवयस्क आवेदकगण वेदिका शर्मा एवं वृष्टि शर्मा के आवश्यक खर्च में उपयोग हेतु उसके नाना अर्थात् श्री राधेश्याम पिता बालमुकुन्द शर्मा द्वारा संरक्षक की हैसियत से शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसे प्रदान किया जा सकेगा।

9. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उपरोक्त राशि मय ब्याज के अलावा अन्य किसी चल–अचल संपत्ति के संबंध में प्रभावशील नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, व मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

RAJ KUMAR TRIPATHI
Digitally signed by RAJ KUMAR TRIPATHI
Date: 2024.09.04 18:36:22 +0530

राज कुमार त्रिपाठी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,
मंदसौर, जिला मंदसौर (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

RAJ KUMAR TRIPATHI
Digitally signed by RAJ KUMAR TRIPATHI
Date: 2024.09.04 18:36:28 +0530

राज कुमार त्रिपाठी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,
मंदसौर, जिला मंदसौर (म0प्र0)